राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3522–पीबीआर/14 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
30–10–2014	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 4–9–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 239/अपील/12–13 में आदेश पारित किया गया है । अपीलार्थी की ओर से आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में तृतीय अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । संहिता की धारा 44 (2) के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है, तृतीय अपील प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान संहिता में नहीं है । अतः यह अपील प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किए जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	

10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

R-3522-PBR/14

10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म.प्र.

रा. अपील प्र. क्र. :- वर्ष 14-15 ग्राम लोधड़ी प. ह. नं. 13/54

प्रस्तुत दिनांक :- 4-10-2014

अपीलार्थी :- मरदनसिंह आयु 54 वर्ष पिता स्व. गुलाबसिंह, यदुवंशी, निवासी ग्राम लोधड़ी, तह० सिवनी-मालवा जिला होशंगाबाद म.प्र. ।

विरुद्ध

उत्तरवादी :- म.प्र. राज्य/शासन

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म.प्र. भू रा. सं. 1959

अपीलार्थी निम्न निवेदन करता है कि :-

अपीलार्थी यह अपील माननीय आयुक्त नर्मदा संभाग होशंगाबाद के न्यायालय के प्र. क्र. 239/अपील/वर्ष 13-14 में पारित आदेश दिनांक 4-9-2014 से परिवेदित होकर यह राजस्व अपील प्रस्तुत की जा रही है ।

4/10/14

29.10.14